

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are also written in a cursive script. The list is organized in a columnar format, with names in the first column and addresses in the second column.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are also written in a cursive script. The list is organized in a columnar format, with names in the first column and addresses in the second column.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1354 / 111 / 14
स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला रीवा

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

5-5-14

यह निगरानी तहसीलदार त्योंथर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.4.14 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एवं तहसीलदार त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.4.14 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक क्रमांक एक ने अनावेदक क्रमांक दो व तीन के विरुद्ध तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन दिया, जिस पर सुनवाई हेतु प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 पंजीबद्ध हुआ। तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 10 का आवेदन देकर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया, जिसे तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 21-4-14 से निरस्त कर दिया। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या आवेदक के हित तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 24/ए-70/13-14 से जुड़े हैं एवं वह हितबद्ध पक्षकार हैं ? आवेदक की ओर से व्यवहार वाद क्रमांक 19 ए 98 में हुये आदेश दिनांक 7 फरवरी 2001 एवं व्यवहार

6-5-14

